छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा
सार्वजनिक उपक्रम विभाग:

रायपुर, दिनांक 20/7/2001

:: अधिसूचना ::

क्रमांक 344/116/ग्रामोद्योग/2001 :- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

:: आदेश ::

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है।
(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद् द्वारा, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द " मध्यप्रदेश " जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द " छत्तीसगढ़ " स्थापित किये जाएं।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गयी कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

निरंतर..2

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978
2.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग (संशोधन) अधिनियम, 1979.
3.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग नियम, 1980.
4.	मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियमन, 1980.
5.	मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग भविष्य निधि नियम, 1963
6.	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल सेवा अधिनियम, 1978.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.के.बेहार)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
ग्रामोद्योग विभाग